भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2106

(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 मार्च, 2017 को दिया गया)

<u>मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग</u>

2106. श्री शंकरभाई एन. वेगड़ :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार के पास भारतीय कंपनियों द्वारा मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लाभ हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को व्यय किए जाने के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में ऐसे क्षेत्र सूचीबद्ध हैं जिन्हें कंपनियां कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अधीन कर सकती है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संकलित कंपनियों का सीएसआर व्यय अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध क्षेत्र-वार मुख्य विकास पर आधारित है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमश: 7334 और 5097 कंपनियों, जिनके आंकड़े संकलित किए गए हैं, का विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक पर दिया गया है।

*****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2106

(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 मार्च, 2017 को दिया गया)

<u>मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग</u>

2106. श्री शंकरभाई एन. वेगड़ :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार के पास भारतीय कंपनियों द्वारा मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लाभ हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को व्यय किए जाने के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में ऐसे क्षेत्र सूचीबद्ध हैं जिन्हें कंपनियां कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अधीन कर सकती है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संकलित कंपनियों का सीएसआर व्यय अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध क्षेत्र-वार मुख्य विकास पर आधारित है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमश: 7334 और 5097 कंपनियों, जिनके आंकड़े संकलित किए गए हैं, का विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2106 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)		
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**
1.	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी, कुपोषण का निवारण/सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2246	3117
2.	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	2728	3073
3.	ग्रामीण विकास	1017	1051
4.	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	1213	923
5.	स्वच्छ भारत कोष	36	262
6..	अन्य कोई कोष	326	213
7.	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	192	136
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	160	95
9.	खेलों को प्रोत्साहन	157	90
10.	विरासत कला और संस्कृति	123	9
11.	स्लम विकास	19	3
12.	निर्मल गंगा कोष	465	497
13.	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	121	355
	कुल योग	**8803**	**9822**
	कंपनियों की संख्या जिसके लिए डाटा संकलित किया गया	**7334**	**5097**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****